रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 22, 2004/माघ 2, 1925
No. 33] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 2004/MAGHA 2, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2004

सं. 25/2004-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 67(अ).— चीन जनवादी गणराज्य, हांगकांग, ताईवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, फिलीपीन और थाईलैंड में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये गए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के शीर्ष 74 के अंतर्गत आने वाले कोपर कलेड लेमीनेट्स (जिसे विषयगत माल भी कहा गया है) के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 26 जून, 2003 द्वारा अधिसूचना सं0 14/14/2002-डीजीएडी, तारीख 25 जून, 2003 में प्रकाशित अभिहित प्राधिकारी अपने प्रारंभिक निष्कर्ष में इस निर्णय पर पहुंचे थे कि–

(क) विषयगत माल चीन जनवादी गणराज्य, हांगकांग, ताईवान, दक्षिण कोरिया और फिलीपीन (जिसे विषयगत देश भी कहा गया है) मूल की अथवा वहां से निर्यातित सभी रूपों में विषयगत माल का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया था ;

(ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई थी;

(ग) यह क्षति संचयी रूप से विषयगत देशों से हुए पाटित आयातों के कारण हुई थी ।

और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने, सा0का0नि0 753 (अ), तारीख 19 सितम्बर, 2003 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 19 सितम्बर, 2003, में प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 141/2003–सीमाशुल्क, तारीख 19 सितम्बर, 2003, द्वारा अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया था ;

और अभिहित प्राधिकारी, अपने अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं0 14/44/2002-डीजीएडी, तारीख 23 दिसम्बर, 2003, जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 23 दिसम्बर, 2003, में प्रकाशित हुआ, द्वारा इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि–

(क) भारत को विषयगत माल का निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है;

(ख) घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान वास्तविक क्षति हुई है ;

(ग) घरेलू उद्योगों को हुई वास्तविक क्षति के लिए विषयगत देशों से हुए पाटित आयातों को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है, और विषयगत देशों से विषयगत माल के पाटन तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का अभाव है क्योंकि पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों से घरेलू उद्योगों को क्षति हुई है,

और अभिहित प्राधिकारी ने विषयगत देशो में मूलत: उदगमित या वहाँ से निर्यात किए गए विषयगत माल के आयात पर संबंधित अधिसूचना सं0 अधिसूचना सं0 14/44/2002-डीजीएडी, तारीख 25 जून, 2003, द्वारा पूर्व में अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क की सिफारिश को वापस लेने को आवश्यक पाया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 13, 18 और 20 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के उक्त पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 19 सितम्बर, 2003 (सा0का0नि0 753 (अ), तारीख 19 सितम्बर, 2003) में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 141/2003–सीमाशुल्क, तारीख 19 सितम्बर, 2003 को उन बातों के सिवाय जो ऐसे विखंडन से पूर्व की गई है या जिन्हें करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है ।

[फा. सं. 354/66/2003-टीआरयू]

जी. एस. कार्की, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2004

No. 25/2004-CUSTOMS

G.S.R. 67(E).— WHEREAS, in the matter of import of Copper Clad Laminates falling under Chapter 74 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the subject goods), originating in, or exported from, People's Republic of China, Hong Kong, Taiwan, South Korea, Singapore, Philippines and Thailand, the designated authority, in its preliminary findings, *vide* notification No. 14/14/2002-DGAD dated 25th June, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 26th June, 2003, had come to the conclusion that –

(a) the subject goods had been exported to India from the People's Republic of China, Hong Kong, Taiwan, South Korea and Philippines (hereinafter referred to as the subject countries) below its normal value;

(b) the domestic industry had suffered material injury;

(c) the material injury had been caused cumulatively by the dumped imports from the subject countries.

AND WHEREAS, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed anti-dumping duty, provisionally, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 141/2003-Customs, dated the 19th September, 2003 [G.S.R. 753 (E), dated the 19th September, 2003], published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 19th September, 2003;

AND WHEREAS, the designated authority, in its final findings *vide* notification No. 14/44/2002-DGAD, dated the 23rd December, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 23rd December, 2003, has come to the conclusion that-

(a) the subject goods have been exported to India below its normal value resulting in dumping;

(b) the domestic industry has suffered material injury during the period of investigation;

(c) the material injury caused to the domestic industry cannot be attributed to the dumped imports from subject countries, and there is an absence of causal link between the dumping of the subject goods from subject countries and material injury to the domestic industry as the factors other than dumped imports have caused injury to the domestic industry,

and the designated authority has considered it necessary to withdraw the anti-dumping duties recommended provisionally *vide* notification No. 14/44/2002-DGAD, dated the 25th June, 2003, on import of subject goods, originating in, or exported from, the subject countries;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 13, 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 141/2003-Customs, dated the 19th September, 2003, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 19th September, 2003, [G.S.R. 753(E), dated the 19th September, 2003], except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 354/66/2003-TRU]
G. S. KARKI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2004

सं. 26/2004-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 68(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2002–सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 का, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में क्रम सं0 30 के सामने, स्तंम्भ 3 में, मद (क) और मद (ख) में, शब्द "तेल" के स्थान पर शब्द "सभी माल" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) उपाबंध में, शर्त सं0 92 और उससे संबंधित शर्तों के स्थान पर निम्नलिखित शर्त सं0 और शर्तें प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात:-

शर्त सं0	शर्त
" 92.	यदि, आयात के समय आयातक उप आयुक्त सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त सीमाशुल्क के सामने दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन लि0 के अध्यक्ष या प्रबंधक निदेशक या निदेशक (रोलिंग स्टॉक, इलैक्ट्रिकल और सिगनलिंग) या निदेशक (वित्त) द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि - (i) माल का आयात दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन लि0 द्वारा या उनके लिए, दिल्ली एमआरटीएस परियोजना में इस्तेमाल के लिए किया गया है; और (ii) माल, दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन लि0 द्वारा रखी गई वस्तु सूची का भाग होगा और अंततः दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन लि0 के स्वामित्व में आयेगा ।" ।

[फा. सं. 332/1/2004-टीआरयू]

जी. एस. कार्की, अवर सचिव

टिप्पण :— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड (i) , में अधिसूचना सं0 21/2002–सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 [सा0 का0 नि0 118 (अ) , तारीख 1 मार्च, 2002] द्वारा प्रकाशित हुई थी और उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं0 24/2004-सीमाशुल्क, तारीख 21 जनवरी, 2004 [सा0का0नि0 64(अ) तारीख 21 जनवरी, 2004] द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2004

No. 26/2004-CUSTOMS

G.S.R. 68(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in tbe notification of the Government of India in tbe Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, against S.No.30, in column (3), in item (A) and item (B), for the words "All oils", the words "All goods" shall be substituted; and

(ii) in the ANNEXURE, for Condition No. 92 and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

Condition No.	Conditions
"92.	If, at the time of importation, the importer produces to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as tbe case may be, a certificate from the Chairman or the Managing Director or the Director (Rolling Stock, Electrical and Signaling) or the Director (Finance) of the Delbi Metro Rail Corporation Ltd., to the effect that – (i) the goods are procured by or on behalf of the Delhi Metro Rail Corporation Ltd. for use in the Delhi MRTS project; and (ii) the goods are part of the inventory maintained by the Delhi Metro Rail Corporation Ltd. and shall be finally owned by the Delhi Metro Rail Corporation Ltd.".

[F. No. 332/1/2004-TRU]

G. S. KARKI, Under Secy.

Note :— The principal notification No.21/2002-Customs dated the dated the 1st March, 2002, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R.118 (E), dated the 1st March, 2002,and was last amended by notification No.24/2004-Customs, dated the 21st January, 2004 [G.S.R. 64 (E), dated the 21st January, 2004].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2004

सं. 10/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 69(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 6/2002 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 1 मार्च, 2002 में, जो भारत के राजपत्र में सा0का0नि0 सं0 127 (अ) तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

शर्त सं0	शर्त
" 92.	यदि, आयात के समय आयातक उप आयुक्त सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त सीमाशुल्क के सामने दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन लि0 के अध्यक्ष या प्रबंधक निदेशक या निदेशक (रोलिंग स्टॉक, इलैक्ट्रिकल और सिगनलिंग) या निदेशक (वित्त) द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि - (i) माल का आयात दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन लि0 द्वारा या उनके लिए, दिल्ली एमआरटीएस परियोजना में इस्तेमाल के लिए किया गया है; और (ii) माल, दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन लि0 द्वारा रखी गई वस्तु सूची का भाग होगा और अंततः दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन लि0 के स्वामित्व में आयेगा । " ।

[फा. सं. 354/7/2003-टीआरयू]

जी. एस. कार्की, अवर सचिव

टिप्पण :— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड (i) , में अधिसूचना सं0 6/2002–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 [सा0 का0 नि0 127 (अ) , तारीख 1 मार्च, 2002] द्वारा प्रकाशित हुई थी और उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं0 5/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 19 जनवरी, 2004 [सा0का0नि0 50 (अ) तारीख 19 जनवरी, 2004] द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2004

No. 10/2004-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 69(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 6/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002, namely:-

In the said notification, in the Annexure, for Condition No. 61 and the Conditions relating thereto, the following Condition No. and Conditions shall be substituted, namely:-

Condition No.	Conditions
"61.	If, at the time of importation, the importer produces to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, a certificate from the Chairman or the Managing Director or the Director (Rolling Stock, Electrical and Signaling) or the Director (Finance) of the Delhi Metro Rail Corporation Ltd., to the effect that – (i) the goods are procured by or on behalf of the Delhi Metro Rail Corporation Ltd. for use in the Delhi MRTS project; and (ii) the goods are part of the inventory maintained by the Delhi Metro Rail Corporation Ltd. and shall be finally owned by the Delhi Metro Rail Corporation Ltd."

[F. No. 354/7/2003-TRU]

G. S. KARKI, Under Secy.

Note :— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No. 6/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002 [G.S.R. 127 (E), dated the 1st March, 2002] and was last amended by notification No. 5 /2004-Central Excise, dated the 19 January, 2004 [G.S.R. No. 50 (E), dated the 19 January, 2004].

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.